बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 192 ● नई दिल्ली ● वीरवार 31 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही माना जाएगा, सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि हाईवे पर बिना कोई चेतावनी दिए अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत से अगर हादसा होता है, तो कार चालक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मंगलवार को यह टिप्पणी की। जस्टिस धूलिया ने कहा, हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं और अगर कोई चालक अपनी गाड़ी रोकना चाहता है, तो उसे पीछे आ रही गाड़ियों को संकेत देना जरूरी होता है। यह मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर में 7 जनवरी 2017 को हुई एक दुर्घटना से जुड़ा है। इंजीनियरिंग छात्र एस मोहम्मद हकीम अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी एक कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए।

आपके आचरण में विश्वास की कमी, आप समिति के समक्ष क्यों पेश हुए? जस्टिस वर्मा से सुप्रीम कोर्ट का सवाल

नई दिल्ली । न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आचरण को विश्वास पैदा न करने वाला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनसे तीखे सवाल पूछे। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को अमान्य करने की मांग की है, जिसमें उन्हें नकदी बरामदगी मामले में कदाचार का दोषी पाया गया था। शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा से पूछा कि वह आंतरिक जांच समिति के समक्ष क्यों पेश हुए और उसे वहीं चुनौती क्यों नहीं दी? जस्टिस वर्मा से कहा कि उन्हें आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के खिलाफ पहले ही सर्वोच्च न्यायालय आना चाहिए था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह मानने के लिए कोई सबूत है कि किसी न्यायाधीश ने कदाचार किया है, तो वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित कर सकते हैं। पीठ ने कहा, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, यह एक राजनीतिक निर्णय है, लेकिन न्यायपालिका को समाज को यह संदेश देना होगा कि प्रक्रिया का पालन किया गया है।%

कपिल सिब्बल की दलील

न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उन्हें हटाने की आंतरिक जांच समिति की सिफारिश असंवैधानिक है। सिब्बल ने कहा कि इस तरह से हटाने की कार्यवाही की सिफारिश एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी। न्यायमूर्ति वर्मा ने पहले संपर्क नहीं किया, क्योंकि टेप जारी हो चुका था और उनकी प्रतिष्ठा पहले ही धूमिल हो चुकी थी।

अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुम्परा की भी खिंचाई

शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाले अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुम्परा की भी खिंचाई की। सुनवाई

के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने नेदुम्परा से पूछा कि क्या उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने से पहले पुलिस से औपचारिक शिकायत भी की थी।

दोनों याचिका पर फैसला सुरक्षित

इसके बाद शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच प्रक्रिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर से उन्हें हटाने की सिफारिश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने नेदुम्परा की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली एक अलग याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका में क्या?

न्यायमूर्ति वर्मा ने तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से 8 मई को की गई उस सिफारिश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें संसद से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया था।

याचिका में न्यायमूर्ति वर्मा ने दलील दी कि जांच ने सबूतों के भार को उलट दिया (आपराधिक मामलों में किसी तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी एक पक्ष से दूसरे पक्ष को स्थानांतरित करना)। यह आरोप लगाते हुए कि पैनल के निष्कर्ष पहले से कल्पना की गई कहानी पर आधारित थे। जांच की समय-सीमा केवल कार्यवाही को जल्द से जल्द समाप्त करने की इच्छा से प्रेरित थी।

जांच समिति ने क्या कहा था?

घटना की जांच कर रहे जांच पैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का उस स्टोर रूम पर गुप्त या सक्रिय नियंत्रण था, जहां आग लगने की घटना के बाद बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी, जिससे उनका कदाचार साबित होता है, जो इतना गंभीर है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाले तीन न्यायाधीशों के पैनल ने 10 दिनों तक जांच की, 55 गवाहों से पूछताछ की और 14 मार्च की रात लगभग 11.35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा (उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत) के सरकारी आवास पर हुई आग लगने के घटनास्थल का दौरा किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी।

मिंटो ब्रिज पर सौरभ भारद्वाज ने बोला झूठ, भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली । मिंटो ब्रिज पर एक झूठ बोलकर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज फंस गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बने मिंटो ब्रिज में पानी भर गया है। इसके कारण इसे बंद करना पड़ा है। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने तुरंत बताया कि सौरभ भारद्वाज का यह दावा पूरी तरह झूठा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मिंटो ब्रिज पर कोई जलभराव नहीं हुआ है और यहां पर आवागमन पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने झूठ बोलने पर सौरभ भारद्वाज को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, सौरभ भारद्वाज ने व्यंगात्मक रूप में कहा कि रिपब्लिक ऑफ मिंटो ब्रिज के सारे वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। पूरे राज्य में बैरिकेड लगा दिए गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने यह दावा इसलिए किया क्योंकि इसके पहले मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर जाता था, जिससे आवागमन बाधित हो जाता था। एक बार यहां भरे पानी में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। मिंटो ब्रिज में पानी भरने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमेशा से राजनीति होती रही है। इसे दिल्ली में बारिश के पानी के मैनेजमेंट के एक टेस्ट के रूप में भी देखा जाता है। वर्तमान सरकार में जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने मिंटो ब्रिज के नीचे पानी न भरने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। मिंटो ब्रिज के पास मोटर की क्षमता बढ़ाई गई है। मोटर को ऊंचा उठा दिया गया है जिससे पानी भरने की स्थिति में भी उसे बंद न करना पड़े। इसके अलावा ब्रिज के पास से गुजर रही रेलवे लाइन के साथ-साथ एक नाले में मिंटो ब्रिज का पानी निकालकर ब्रिज के नीचे पानी न भरने पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि मंगलवार को दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज के नीचे पानी नहीं भरने पाया। सौरभ भारद्वाज ने एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया है। इस पर भाजपा तुरंत सक्रिय हो गई और जलभराव पर गलत जानकारी देने पर भारद्वाज को घेर लिया।

देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी, मोदी-शाह के भाषणों का भी होगा प्रचार-प्रसार

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 10 से 14 अगस्त तक सभी मंडलों में एक राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा शुरू करने वाली है। सूत्रों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य देशभक्ति का प्रसार करना और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उजागर करना है। यात्रा के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा संसद में दिए गए भाषणों का जनता के बीच व्यापक प्रचार किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत, 13 से 15 अगस्त तक हर घर और प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इससे पहले, भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए 13 मई से 23 मई तक 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। अभियान का यह नया चरण लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका राष्ट्रीय महत्व और भी बढ़ गया है। स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध स्मारकों और राष्ट्रीय स्मारकों से जुड़े स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि यात्रा के दौरान भारत के रक्षा बलों की प्रशंसा, शहीदों की स्मृति और स्वदेशी रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी वाले पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के तहत, पुलिस अधिकारियों, युद्ध नायकों और शहीद सैनिकों के परिवारों को उनकी सेवा और बलिदान के सम्मान में सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आधिकारिक अनुमति के अधीन, सीमा चौकियों का दौरा भी आयोजित किया जाएगा, जहाँ सेवारत सैनिकों को राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।

14 अगस्त को, देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस) के अवसर पर एक मौन मार्च निकाला जाएगा, जिसमें विभाजन के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रत्येक राज्य यात्रा के समन्वय के लिए एक संयोजक और तीन सदस्यों वाली एक समिति का गठन करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को इस अभियान का मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है।

आरोपियों की पेशी के लिए क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत होगी, बालाजी केस में स्टालिन सरकार को सुप्रीम फटकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े नौकरी के बदले नकदी घोटाले मामले में 2000 से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए तमिलनाडु सरकार की खिंचाई की।

कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों और गवाहों का ब्यौरा भी मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पूर्व मंत्री से जुड़े मामलों की सुनवाई को बिना पतवार वाला जहाज करार दिया। पीठ ने कहा कि अगर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होता, तो अनिच्छुक राज्य घोटाले में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े मामलों को गरिमापूर्ण ढंग से समाप्त करना चाहता था। पीठ ने बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से कहा कि 2000 से ज्यादा अभियुक्तों और 500 गवाहों के साथ यह भारत का सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाला मुकदमा होगा।

इसके लिए निचली अदालत का एक छोटा सा कोर्ट रूम काफी नहीं होगा और अभियुक्तों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी एक क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत पड़ेगी।

कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित अभियुक्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अचानक सामने आ जाएंगे। शंकरनारायणन घोटाले के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और मामलों को एक साथ जोड़ने के फैसले का विरोध कर रहे थे। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के अनुरोध पर पीठ ने राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि जब किसी मामले में एक शक्तिशाली मंत्री और संपन्न लोग अभियुक्त होते हैं तो ऐसी धारणा बन जाती है कि एक अकेला लोक अभियोजक न्याय नहीं कर पाएगा। इससे पहले मंगलवार को शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की ओर से कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले में 2,000 से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बनाकर बालाजी से जुड़े मामलों में मुकदमे में देरी करने के प्रयास पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने इस प्रयास को न्यायिक व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी बताया था। शीर्ष अदालत की ओर से फटकार लगाए जाने के बाद बालाजी ने 27 अप्रैल को एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। शीर्ष अदालत ने 23 अप्रैल को बालाजी से पद और स्वतंत्रता के बीच चुनाव करने को कहा था और उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद बालाजी को दक्षिणी राज्य में मंत्री पद पर बहाल कर दिया गया था। इससे पहले 26 सितंबर, 2024 को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांचे जा रहे एक मामले में बालाजी को जमानत दे दी थी। बालाजी (48) ने पिछले साल 29 सितंबर को मंत्री के रूप में शपथ ली थी और उन्हें बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, निषेध और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख विभाग सौंपे गए थे, जो उन्होंने पहले स्टालिन मंत्रिमंडल में संभाले थे।

दिल्ली में उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत, कई इलाकों में झमाझम बारिश

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो गई है। बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ बीते मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश राहत लेकर आई। लेकिन बारिश की वजह से जलभराव और जाम ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दिल्ली में फिर झमाझम बारिश वाला मौसम बन गया है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में चार अगस्त तक कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। बीते मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी। लेकिन बारिश की वजह से जलभराव और जाम जैसी स्थितियों से शहरवासी जूझते और परेशान नजर आए। कई इलाकों में सड़कें तालाब तो गलियां और अंडरपास झीलों में तब्दील हो गए। इसकी वजह से घंटों तक जाम लगा रहा, जिसने दिल्ली के साथ ही एनसीआर वालों की भी रफ्तार धीमी कर दी। सुबह के समय स्कूल-कॉलेज और दफ्तर पहुंचने वाले सबसे ज्यादा परेशान हुए। हालांकि हर बारिश में मुसीबत बनने वाला मिंटो ब्रिज में इस बार जलभराव की स्थिति नहीं होने से राहत रही। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मौसम का बदलाव और तेज बारिश का असर कई उड़ान सेवाओं पर भी देखने को मिला। इसे देखते हुए इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए यात्रा सलाह जारी की। दिल्ली के पंचकुइयां रोड, मोती बाग, आईटीओ, मुखर्जी नगर और पुल प्रह्लादपुर सहित कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। आईटीओ, धौला कुआं, नारायणा, पटेल नगर, विजय चौक, जंगपुरा, आरके पुरम, लाजपत नगर, तालकटोरा रोड, रफी मार्ग और रोहिणी जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वतखोरी के आरोपित कस्टम अधिकारी को दी जमानत, गिरफ्तारी के समय लिखित में नहीं बताया था कारण

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कस्टम विभाग के अधिकारी संदीप दलाल को जमानत दे दी है। अदालत ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए यह राहत दी। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में की गई चूक आरोपित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में अब कोई नई रिकवरी शेष नहीं है, आरोपित सरकारी कर्मचारी है और फरार होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने आरोपित को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि की एक जमानती पर जमानत दे दी। अदालत ने आरोपित के खिलाफ जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की कड़ी शर्त भी लगाई। सीबीआई के मुताबिक, आरोपित ने एक निजी कंपनी से उनके कंटेनर की क्लीयरेंस के बदले 25 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जांच के दौरान सीबीआइ ने तीन जुलाई को तुगलकाबाद स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो में ट्रैप लगाकर आरोपित के सहयोगी अंकित को 1.5 लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोनों आरोपितों को चार जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि आरोपित की गिरफ्तारी के वक्त उसके परिजनों को लिखित में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अनिवार्य है। कोर्ट ने माना कि आरोपित के चचेरे भाई सुरेंद्र सिंह मौके पर मौजूद थे, फिर भी गिरफ्तारी के लिखित आधार उन्हें नहीं दिए गए।

भारत में रेबीज बीमारी से ग्रस्त आवारा कुत्तों के काटने से बच्चे व बुजुर्ग शिकार हो रहे हैं

भारत के करीब-करीब हर राज्य के हर शहरी क्षेत्र के हर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के हर गांव में अगर हम देखेंगे तो हमेंआवारा या लावारिस कुत्ते कहीं कम कहीं अधिक संख्या में जरूर दिखेंगे। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूं कि इससे शायद किसी नागरिक को कोई आक्षेप नहीं होगा। परंतु इन आवारा कुत्तों द्वारा जब नागरिकों की बस्ती में आतंक फैलाना, पैदल चलने वालों को काटना, गाड़ी वालों के पीछे दौड़कर काटने की कोशिश करना जैसी गतिविधियां होती है तो इससे रेबीज नामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, वह भी अक्सर यह घटनाएं बच्चों में बुजुर्गों के साथ अधिक हो रही है, जो रेखांकित करने वाली बात है। यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हो तो इसके लिए भारतीय कानून में इन पशुओं जानवरों की रक्षा वह नियंत्रण के अनेकों कानून बने हुए है जैसे पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001, भारतीय न्याय संहिता (नया आईपीसी) की धारा 325,326, पशु कल्याण बोर्ड इत्यादि अनेक अधिनियम नियम व वैधानिक निकाय है परंतु विशेषकर कुत्तों पर नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों जैसे नगरपरिषद नगरपालिका नगरनिगम महानगरपालिका इत्यादि जवाबदार है, इन्हें अब जागना जरूरी है। इस विषय पर आज हम चर्चा इसलिए कर रहे है, क्योंकि सोमवार दिनांक 28 जुलाई 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने भारत के पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में 30 जून 2025 को एक 6 वर्ष की बेटी को रेबीज बीमारी से ग्रस्त कुत्ते द्वारा काटा गया, और इलाज के दौरान 26 जुलाई 2025 को उसकी मृत्यु हो गई इस खबर को पेपर में पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इसपर स्वतः संज्ञान लेकर, एक याचिका दाखिल कर, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया है, जिसकी चर्चा विस्तार से हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, पूरे भारत को स्थानीय निकायों जैसे नगरपरिषद नगर पालिका नगरनिगम महानगर पालिका इत्यादि को पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001 का सख्ती से पालन करना समय की मांग है। साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय बेंच द्वारा एक प्रसिद्ध न्यूजपेपर में कुत्ते के काटने पर 6 वर्ष की बालिका की मृत्यु का स्वतःसंज्ञान के इस आदेश को विस्तार से जानने की करें तो, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखबार में प्रकाशितसमाचार आवारा कुत्तों से त्रस्त शहर,बच्चे भुगत रहे कीमत पर स्वतःसंज्ञान लिया है। अदालत ने एक रिट याचिका दर्ज की है, जिसमें यह संज्ञान लिया गया है कि किस प्रकार नवजात शिशु, बच्चे और बुजुर्ग अवैक्सीनेटेड (टीकाकरण रहित) आवारा कुत्तों के काटने के कारण रेबीज जैसी घातकबीमारी का शिकार हो रहे है। बेंच ने खबर पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी करते हुए कहा कि सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और हमें सबसे पहले इस बेहद चिंताजनक और खतरनाक समाचार का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 'सिटी हॉउंडेड बाय स्ट्रेस एंड किड्स पे प्राइस' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। समाचार में कुछ चौंकाने वाले और परेशान करने वाले आंकड़े और तथ्य शामिल हैं। हर दिन, शहरी और बाहरी इलाकों में सैकड़ों कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे रेबीज फैल रहा है और अंततः नवजात शिशु, बच्चे और बुजुर्ग इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा रजिस्ट्री इस याचिका को स्वतः प्रेरित याचिका के रूप में दर्ज करें। यह आदेश और समाचार रिपोर्ट माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपयुक्त आदेशों के लिए प्रस्तुत की जाए। इस गंभीर स्थिति का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है, जिनकी रेबीज से मौतें हो रही हैं। बेंच ने इन मौतों को «डरावना और परेशान करने वाला» बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले को एक स्वतःसंज्ञान याचिका के रूप में पंजीकृत किया जाए। साथ ही, संबंधित आदेश और समाचार रिपोर्ट को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथियों बात अगर हम इस रेबीज नामक बीमारी की करें तो, बता दें कि रेबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो आमतौर पर संक्रमित जानवरों की लार से इंसानों में फैलती है। दुनियाँ भर में रेबीज के अधिकांश मानवीय मामलों के लिए संक्रमित कुत्ते जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, चमगादड़, लोमड़ी, रैकून, कोयोट और स्कंक जैसे जंगली जानवर भी रेबीज फैला सकते हैं। रेबीज के लक्षण आमतौर पर काटने के 2-3 महीने बाद दिखाई देते हैं, लेकिन यह 1 सप्ताह से 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक भिन्न हो सकता है। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं- बुखार, सिरदर्द दर्द। साथियों बातअगर हम स्वतःसंज्ञान के इस आदेश को गहराई से समझने की करें तो,आए दिन देश में आवारा कुत्तों के आतंक की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं। आवारा कुत्तों का सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग और बच्चे हो रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, बल्कि रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के आतंक को कम करने के लिए खाना स्कीम शुरू की है। अब आवारा कुत्तों के मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। एक रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा। इस खबर में बताया गया कि शहरों और बाहरी इलाकों में हर दिन सैकड़ों लोग आवारा कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। इन हमलों से रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी फैल रही है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा मासूम बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। इस मुद्दे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को उठाया।बेंच ने इस खबर को 'बेहद परेशान करने वाला' बताया। जस्टिस ने कहा कि यह खबर बहुत डरावनी है। हर दिन सैकड़ों लोग कुत्तों के काटने से पीड़ित हैं। रेबीज की वजह से छोटे बच्चे और बुजुर्ग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने एक दुखद घटना का जिक्र किया, जिसमें दिल्ली के रोहिणी इलाके में 30 जून को एक 6 साल की बच्ची को एक रेबीज बीमारी से ग्रस्त कुत्ते ने काट लिया। इलाज के बावजूद बच्ची की 26 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने शुरू में उसकी बिगड़ती हालत को सामान्य बुखार समझा, जिससे सही समय पर इलाज नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। यह कदम तब उठाया गया, जब कोर्ट ने देखा कि नगर निगम और प्रशासन आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके टीकाकरण में नाकाम रहे हैं।यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। बता दें 15 जुलाई 2025 को बेंच ने भी आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की जगहों को लेकर चिंता जताई थी। कोर्ट का कहना है कि जानवरों के प्रति दया और लोगों की सुरक्षा में संतुलन जरूरी है। अब उम्मीद है कि इस मामले में जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि मासूम बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई जा सके।भारतीय दंड संहिता की धारा 428 में 10 रुपए से कम मूल्य के पशु को मारना या अपंग करना शामिल था, जबकि धारा 429 में 50 रुपए या उससे अधिक मूल्य के पशु को मारना या अपंग करना शामिल था।भारतीय न्याय संहिता में, इन अपराधों को अब धारा 325 और 326 में शामिल किया गया है, जो पशुओं को नुकसान पहुंचाने से संबंधित हैं, लेकिन अब मूल्य सीमा का उल्लेख नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के पशुओं को शामिल किया गया है। साथियों बात अगर हम 22 जुलाई 2025 को संसद में इससे संबंधित एक सवाल का जवाब देने की करें तो केंद्रीय मंत्री द्वारा 22 जुलाई को संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष कुत्ते के काटने के कुल मामलों की संख्या 37,17,336 थी, जबकि संदिग्धमृद मानव रेबीज मौतें 54 थीं।उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी नगर पालिकाओं की है तथा वे उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रहे हैं।

पाकिस्तान से क्रिकेट निषेध

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा। यह राजनीति, कूटनीति और जनभावनाओं का मिश्रण बन चुका है। परम्परागत प्रतिद्वंद्वी रही भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें जब भी आमने-सामने आती हैं तो सिर्फ रन और विकेट ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान और वर्तमान नीतियों की भी परीक्षा होती है। आगामी एशिया कप के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक उबाल आ गया है और देश में विरोध और असंतोष की लहर भी चल पड़ी है। विपक्षी दलों का कहना है कि भारत को यह मैच नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि नरेन्द्र मोदी सरकार का स्टैंड है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से ट्रेड भी बंद है और केन्द्र ने सिंधु जल रोकने का भी ऐलान किया हुआ है। ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों में क्रिकेट मैच खेलना उचित नहीं। इस मैच को लेकर देश में विरोध और असंतोष की लहर भी चल पड़ी है। न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में बल्कि सोशल मीडिया पर बहस भी बहुत तेज हो गई है। अनेक स्वर उठ रहे हैं। यद्यपि खेल मंत्रालय का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। बीसीसीआई फिलहाल खेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अभी पारित नहीं हुआ है। ऐसे में सीधे हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं है। एशिया कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अधीन नहीं आता, बल्कि इसका आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी इस समय एसीसी के अध्यक्ष हैं। भारत-पाकिस्तान मुकाबलों पर भारी आर्थिक दांव लगे हैं। सोनी नेटवर्क ने एसीसी से आठ साल के प्रसारण अधिकार 170 मिलियन डॉलर में खरीदे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले न होने पर प्रसारकों और एसीसी के राजस्व पर भारी असर पड़ेगा। बीसीसीआई इस नुकसान को झेलने में सक्षम है लेकिन अन्य छोटे देशों के क्रिकेट बोर्ड, जो क्रिकेट पर निर्भर नहीं हैं, उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खेल मंत्रालय ने संसद में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें असाधारण परिस्थितियों और राष्ट्रीय हित में मंत्रालय को अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिलेगा। फिलहाल खेल मंत्रालय ने गेंद बीसीसीआई के पाले में डाल दी है। यह सही है कि क्रिकेट को दोनों देशों के बीच कूटनीति के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। 1987 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने भारत का दौरा किया था। जहां उन्होंने एक क्रिकेट मैच देखा था। इस दौर को ''शांति के लिए क्रिकेट'' पहल के रूप में देखा गया। जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना था। हालांकि इस दौर के बाद सीमा पर तनाव फिर बढ़ गया। 1999 के कारगिल युद्ध और 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद कूटनीतिक गर्मजोशी के एक दुर्लभ क्षण में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक साहसिक शांति प्रक्रिया शुरू की। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने 14 वर्षों में पहली बार 2004 में पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें पांच मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) शृंखला और तीन मैचों की टेस्ट शृंखला शामिल थी, जिसमें भारत ने दोनों प्रारूपों में जीत हासिल की जो क्रिकेट और द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण था। 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हुए आतंकवादी हमले ने पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करने की क्षमता पर गहरा असर डाला। इस घटना के कारण देश में टेस्ट मैचों पर एक दशक तक रोक लगी रही और पाकिस्तान को 2011 क्रिकेट विश्व कप की सह-मेजबानी का अधिकार भी गंवाना पड़ा। इसने भारत की द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों में शामिल होने की अनिच्छा को और गहरा कर दिया जिससे रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते 2011 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दौरान भी दोनों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध और संघर्ष हुए हैं। इसका असर क्रिकेट मैचों पर भी हुआ है। क्रिकेट कूटनीति दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने का काम भी करती रही। यह एक ऐसा खेल है जो दोनों देशों के लोगों को एक साथ लाता है लेकिन इसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व भी है। पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली का कहना है कि पहलगाम जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद रुकना चाहिए। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खेल रुक जाए। सौरभ गांगुली का यह व्यक्तिगत विचार हो सकता है लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत ने जुलाई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजैंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इंकार कर दिया तो अब एशिया कप में कैसे खेलेगा। बीसीसीआई न तो राष्ट्र से बड़ा है और न ही उसे राष्ट्र हितों पर घात करने का अधिकार है। बीसीसीआई विश्व में सबसे अमीर संस्था है लेकिन राष्ट्र सम्मान के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं होती। भारत का स्वाभिमान खेल से कहीं अधिक बढ़कर है। पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के प्रति आक्रोश का माहौल है। सैन्य संघर्ष के बाद जनभावनाएं यही हैं कि भारत-पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेले। देश के लिए यह एक संवेदनशील एवं भावनात्मक मुद्दा है। भारत की बेटियों का सुहाग उजाड़ने वालों के साथ क्रिकेट क्यों खेला जाना चाहिए। बेहतर यही होगा कि सरकार हस्तक्षेप करे और बीसीसीआई जनभावनाओं का सम्मान करे।

क्या दादी-नानी के नुस्खे जल्द लुप्त हो जाएंगे?

दादी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी-सी बच्ची अपने दर्द से कराहते हुए अपनी दादी से कहती है। मम्मी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की कोशिश में लगी है, पर तब तक तो बिटिया को राहत नहीं। दादी मुस्कुराते हुए एक गिलास गर्म पानी मंगवाती है, किचन की आलमारी से अजवाइन का चूर्ण निकालती है और बच्ची को एक चम्मच अजवाइन के साथ वह गर्म पानी दे देती है। कुछ ही समय में वह बच्ची फिर से खेल में मग्न हो जाती है। तब तक तो डॉक्टर के क्लीनिक का फोन भी नहीं मिला। ऐसे दृश्य अब भी कई घरों में देखने को मिलते हैं, पर क्या यह अगली पीढ़ी में भी ऐसे ही जारी रहेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। आज की पीढ़ी विज्ञान-आधारित चिकित्सा पर ही विश्वास करती है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। परंतु समस्या तब होती है जब वे पारंपरिक घरेलू ज्ञान को पूरी तरह नकार देते हैं। वह ज्ञान जो अनुभवों की परतों से गुजरकर पनपा, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता आया। क्या वह अब केवल किताबों और इंटरनेट आर्टिकल्स में ही रह जाएगा? हममें से अधिकांश ने अपने बचपन में दादी-नानी के नुस्खों का लाभ लिया है। घर के किचन में ही एक मिनी मेडिकल स्टोर जैसा इंतजाम होता था। अजवाइन, हींग, सौंफ, हल्दी, दालचीनी, तुलसी, लौंग, शहद, घी-ये सभी ना सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी माने जाते थे। अगर गला खराब हो जाए तो गरम पानी में नमक डालकर गरारा करना, कफ की समस्या हो तो अदरक और शहद का मिश्रण, नींद नहीं आ रही हो तो गर्म दूध में थोड़ा सा जायफल डू ये सभी नुस्खे हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। यही नहीं, जीवनशैली से जुड़े कई ऐसे नियम भी होते थे जिन्हें हम बिना समझे पालन करते थे। जैसे रात में दही न खाना, या खाली पेट नींबू पानी से दिन की शुरुआत करना। ये बातें केवल परंपरा नहीं थीं, इनके पीछे विज्ञान छुपा था -बस अभिव्यक्ति अलग शैली में होती थी। आज के आधुनिक जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि कहां ठहरकर कोई दादी का मसाला डब्बा खोलने का समय नहीं। बाजार में मिलने वाली इंस्टेंट रिलीफ की गोलियों और सिरप ने हमारी धैर्य की परीक्षा ही बंद कर दी है। फिर चाहे वह साइड इफेक्ट के साथ क्यों न आए। दूसरी ओर, बुजुर्गों की संख्या घट रही है, पर उनका ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच रहा। नई पीढ़ी उनसे संवाद कम कर रही है, और बुजुर्गों का आत्मविश्वास भी कम हो गया है। वे अपने नुस्खे या सलाह देने में संकोच करने लगे हैं क्योंकि बच्चों को अब गूगल ज्यादा विश्वसनीय लगता है। पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए -क्या केवल एलोपैथिक इलाज से हर समस्या का समाधान संभव है? क्या हम परंपराओं को पूरी तरह छोड़कर वास्तव में समृद्धि की ओर जा रहे हैं, या एक गहरे खालीपन की ओर? आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पद्धतियां केवल वैकल्पिक नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के परीक्षण की कसौटी पर खरी उतरी पद्धतियां हैं। पर इनका मूल आधार है शरीर को समझना, प्रकृति से तालमेल और धैर्य और यह धैर्य आज की पीढ़ी में बहुत कम है।

सम्पादकीय...

'वाटर बम'?

चीन के बारे में पूरी दुनिया में आम राय यही रही है कि वह दूसरों को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही कारण है कि उसे हमेशा शंका की दृष्टि से देखा जाता है। पिछले सप्ताह तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने दुनिया के सबसे बड़े बांध की नींव रखी तो भारत से लेकर बंगलादेश तक में चिंता फैल गई कि चीन इस बांध का इस्तेमाल कहीं नए हथियार 'वाटर बम' के तौर पर तो नहीं करेगा? इस शंका के पीछे ठोस कारण है, यारलुंग सांगपो नदी तिब्बत को पार करने के बाद भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानी जाती है। हिमालय के कैलाश क्षेत्र से निकलने वाली यह नदी करीब 2900 किलोमीटर का सफर करने के बाद बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। भारत में यह नदी 996 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पिछले वर्षों में पूर्वोत्तर की इस नदी का प्रवाह कम हुआ है और यह माना जाता रहा है कि चीन कुछ हरकत कर रहा है, अब जो बांध बन रहा है, उसकी चर्चा पिछले कई सालों से चल रही थी। कहते हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर दुनियाभर के पर्यावरण विज्ञानी ऐसे किसी भी बांध का विरोध कर रहे थे, क्योंकि तिब्बत-भारत सीमा के पास यह बांध इतना बड़ा बनने वाला है कि इससे पूरा पर्यावरण तबाह हो जाएगा। खुद तिब्बत तो तबाह होगा ही, भारत और बंगलादेश के नाजुक पठार से लेकर नीचे समतल इलाके भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। सैटेलाइट इमेजरी स्पेशलिस्ट डेमियन साइमन ने इस बांध का लोकेशन शेयर किया है, इसे देखकर सहज ही अंदाजा हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश से ठीक सटे इलाके में यह बांध बनाया जा रहा है। चीन कह रहा है कि इसमें पांच हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल होंगे। खर्च की बात करें तो इसके निर्माण पर लगभग 14473 अरब रुपए खर्च होने वाले हैं। चीन का कहना है कि यह बांध ग्रीन एनर्जी के लिए है। मगर भारत को ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता। भारतीय विशेषज्ञ चीन के इस बांध को भारत के खिलाफ एक नए हथियार के रूप में देखते हैं, सबसे पहली बात कि बांध बन जाने के बाद चीन अपनी मर्जी से ही ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ेगा। किसी समझौते की बात ही बेमानी है क्योंकि वह दुनिया में किसी की सुनता कहां है? वह जब चाहेगा तब ब्रह्मपुत्र के इलाके में सूखा पसार देगा और जब चाहेगा बाढ़ ला देगा। जो सबसे बड़ा खतरा है, उसे विशेषज्ञ 'वाटर बम' कह रहे हैं। मान लीजिए कि चीन ने कभी एक साथ पूरा पानी भारत की ओर छोड़ दिया तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक बाढ़ की तबाही आ जाएगी। इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए कि यदि वाकई कभी चीन ने वैसी परिस्थितियां पैदा कर दीं तो क्या हम महफूज रह सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले लिखा कि चीन पर इस शंका के एक नहीं कई कारण मौजूद हैं, कोविड-19 की याद अभी भी बनी हुई है जब पूरी दुनिया थम सी गई थी। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने दुनियाभर में डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। दुनिया अब भी शंका करती है कि कोरोना वायरस एक चीनी लैब में पैदा किया गया। जिस चीनी वैज्ञानिक ली वेनलियांग ने सबसे पहले वायरस के प्रकोप की जानकारी दी, उसे चीनी पुलिस ने रोक दिया था, बाद में वह खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गया। अब मैं आपको एक ऐसी घटना की याद दिलाता हूं जिसे हो सकता है कि आप भुला बैठे हों, वैसे नई पीढ़ी को तो उस घटना की जानकारी शायद ही होगी। वो 6 अगस्त 2010 की तारीख थी और जगह थी लेह, आप में से जिन लोगों ने लेह की यात्रा की होगी या उस इलाके के बारे में पढ़ा होगा, वे जानते होंगे कि नीले आकाश में उड़ते हुए बादल तो वहां खूब दिखते हैं मगर वहां प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि सालाना 4 इंच से भी कम बारिश होती है। नवंबर से लेकर अप्रैल महीने तक वहां बर्फ गिरती है। बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है लेकिन बारिश की हमेशा कमी रहती है। लद्दाख इलाके को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, लद्दाख इलाके का शहर है लेह, जहां 2010 में अचानक दो घंटे में 14 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। वहां के पहाड़ चूंकि कच्चे हैं और इतनी बारिश कभी होती नहीं है तो वह बारिश कहर बन कर टूटी और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। स्वाभाविक रूप से आप कहेंगे कि बादल फटने में चीन की क्या भूमिका हो सकती है? तो मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं, 2008 में बीजिंग में ओलंपिक का आयोजन था। मौसम विज्ञानी कह रहे थे कि उद्घाटन समारोह के दौरान बारिश हो सकती है। सभी चिंतित थे लेकिन चीन ने सिल्वर आयोडाइड से भरे एक हजार से ज्यादा रॉकेट बादलों पर दागे और बादलों को बीजिंग से दूर बरसा दिया। माना जाता है कि चीन में बादलों की मर्जी नहीं चलती। जहां चीन चाहेगा उन्हें वहीं बरसना होगा। इसीलिए आज भी यह शंका कायम है कि लेह में चीन ने बादलों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। तो, नदी के पानी को वाटर बम के रूप में तब्दील कर देना उसके लिए क्या मुश्किल होगा? मुश्किल तो हमारी होने वाली है, इसलिए अभी से हमें वाटर बम को डिफ्यूज करने के रास्ते तलाशने होंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। जिस तरह से महाशक्ति बनने के लिए अमेरिका और रूस ने दुनिया को डराया और विभिन्न तरीके से आज भी डरा रहा है, उसी तरह चीन भी अपना खौफ पैदा करना चाह रहा है। मैं चीन को दोष नहीं देता लेकिन सवाल मानवीयता का है। चीन उस मानवीयता को ही नष्ट करने में तुला है, स्थिति वाकई खौफनाक बनती जा रही है।

हमारी भाषाओं को जोड़ती एक विचारधारा

मौजूदा दौर में भी और अतीत में भी जिस प्रकार से भाषाओं को लेकर आपसी वैमनस्य और यहां तक कि मारपीट तक होती रही है, ऐसा बर्ताव भाषा के साथ दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। जहां उर्दू, हिंदी, गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक है, उसी प्रकार से पंजाबी या गुरुमुखी भी एक दिलदार जुबान है। किसी भी भाषा के लिए सबसे बड़ी दुश्मनी यह है कि उसे किसी धर्म, संप्रदाय, प्रांत अन्यथा देश से जोड़ कर देखा जाए। एक समय ऐसा भी हुआ कि कर्नाटक में भी हिंदी और कन्नड़ और हिंदी में विरोध हुआ और हिंदी की तख्तियों और बैनर्स को काली स्याही पोती गई। किसी भी भाषा के साथ इस से बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। भाषाओं का धर्म नहीं दिल अवश्य होता है, जिनको इनके चाहने वाले शैदाई दिल से बोलते हैं। वैसे भाषा को लेकर देशों में भी विभाजन हुआ है। बांग्ला और उर्दू के झगड़े में बांग्लादेश की स्थापना हुई और हिंदी उर्दू के फसाद ने पाकिस्तान बना डाला, जबकि उर्दू भारत में जन्मी और पली बढ़ी। इस संदर्भ में, भारत के स्कूलों में विभिन्न प्रांतों की भाषाओं को पढ़ाने की अवधारणा न केवल एक शैक्षिक सुधार है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम भी हो सकता है। भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता भारत में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, इतिहास, और पहचान का प्रतीक भी है। प्रत्येक भाषा अपने साथ साहित्य, परंपराएं, और जीवनशैली की एक अनूठी झलक लेकर आती है। उदाहरण के लिए, बांग्ला भाषा रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे साहित्यकारों की विरासत को समेटे हुए है, तो पंजाबी भाषा गुरबानी और लोक संगीत की जीवंतता को दर्शाती है। भाषाओं की दिलों और आत्मा को जोड़ने की दिशा में ही, ज़मीन से जुड़े दशमेश पब्लिक स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार कहते हैं कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। लेकिन यह विविधता कभी-कभी क्षेत्रीय और भाषाई दीवारें भी खड़ी कर देती है, जो लोगों के बीच आपसी समझ और एकता को कमजोर कर सकती है। इस संदर्भ में, भारत के स्कूलों में विभिन्न प्रांतों की भाषाओं को पढ़ाने की अवधारणा न केवल एक शैक्षिक सुधार है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम भी हो सकता है। वह इस बाबत महाराष्ट्र के संत नामदेव का उदाहरण देते हैं कि वे मूल रूप से महाराष्ट्र से थे। उन्होंने अपने जीवन के करीब दो दशक पंजाब में व्यतीत किए। उनके अनेक दोहे श्री गुरुग्रंथ साहिब में हैं। संत नामदेव के नाम पर एक मंदिर भीष्म पितामह मार्ग है। इसे संत नामदेव ट्रस्ट चलाता है। नामदेव जी ने मराठी के साथ ही साथ हिन्दी में भी रचनाएं लिखीं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत सारे देश में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। कितना भला महसूस होता है, जब सुष्मिता बोस और आमना जकी राजधानी के विवेक विहार के दशमेश पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर धाराप्रवाह पंजाबी में बातचीत कर रही थीं। इनके बीच में हो रहे संवाद को सुनकर कोई कह नहीं सकता था कि इन दोनों की मातृभाषा पंजाबी नहीं है। बांग्ला भाषी सुष्मिता और आमना के घर में उर्दू या कहें हिन्दुस्तानी बोली जाती है। इन दोनों ने पंजाबी लिखना और बोलना अपने स्कूल में सीखा। इधर पंजाबी भाषा सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। इन दोनों के अलावा, यहां से बीते तीन दशकों के दौरान हजारों गैर पंजाबी परिवारों के बच्चों ने पंजाबी लिखना- बोलना सीखा। अगर सारे देश के स्कूलों के बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य राज्य की भाषा भी पढ़ें और सीखें तो कितना अच्छा हो। मुंबई के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तमिल, बांग्ला,असमिया आदि जुबानें सीखने का अवसर मिले और तमिलनाडु के बच्चों को पंजाबी,हिन्दी, मलयाली आदि भाषाएं सीखने का विकल्प हो। यदि स्कूलों में बच्चों को विभिन्न प्रांतों की भाषाएं पढ़ाई जाएं, तो यह न केवल उनकी भाषाई क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें अन्य क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं, और जीवनशैली को समझने का अवसर भी देगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना भी है। बहुभाषी शिक्षा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में प्रख्यात शिक्षाविद् सरिता सक्सेना का मानना है कि बहुभाषी होना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जैसा कि शोध बताते हैं कि जो बच्चे एक से अधिक भाषाएं सीखते हैं, उनकी संज्ञानात्मक लचीलापन, समस्या-समाधान क्षमता, और रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहां हर कुछ सौ किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है, बच्चों को विभिन्न भाषाएं सिखाने से उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। भारत में क्षेत्रीयता और भाषाई पहचान कई बार सामाजिक तनाव का कारण बनती है। विभिन्न भाषाई समूहों के बीच गलतफहमियां और पूर्वाग्रह अक्सर इसलिए उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लोग एक-दूसरे की संस्कृति और भाषा से अपरिचित होते हैं। यदि स्कूलों में बच्चों को कम उम्र से ही विभिन्न प्रांतों की भाषाएं सिखाई जाएं, तो यह एक-दूसरे के प्रति समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देगा। उदाहरण के तौर पर, जब एक बांग्ला भाषी बच्चा पंजाबी सीखता है, तो वह न केवल भाषा सीखता है, बल्कि पंजाब की संस्कृति, त्योहारों, और जीवनशैली को भी समझता है। यह उसे पंजाबी लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक बनाएगा। इसी तरह, हिंदी भाषी बच्चे जब असमिया सीखेंगे, तो वे असम की सांस्कृतिक समृद्धि, जैसे बिहू उत्सव और असमिया साहित्य, से परिचित होंगे। यह प्रक्रिया बच्चों में एक समावेशी दृष्टिकोण विकसित करेगी, जो भविष्य में सामाजिक एकता को मजबूत करेगा। बहुभाषी शिक्षा के व्यावहारिक लाभ भी कम नहीं हैं। भारत एक तेजी से वैश्विक होने वाला देश है, जहां नौकरी और व्यापार के अवसर अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे हैं। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान बच्चों को भविष्य में बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक मलयाली जो हिंदी जानता है, वह न केवल केरल में, बल्कि दिल्ली, मुंबई, या अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी आसानी से काम कर सकता है। इसी तरह, एक बांग्ला भाषी व्यक्ति जो पंजाबी जानता है, वह पंजाब में व्यापार या नौकरी के अवसरों का बेहतर उपयोग कर सकता है। इसके अलावा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी बहुभाषी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब लोग एक-दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझते हैं, तो वे अधिक आसानी से एक-दूसरे के साथ घुलमिल सकते हैं। यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और विभिन्न प्रांतों के बीच आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। हालांकि विभिन्न प्रांतों की भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाने का विचार आकर्षक है, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले, भारत में शिक्षा का ढांचा पहले से ही जटिल है, और कई स्कूलों में संसाधनों की कमी है। विभिन्न भाषाओं को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में नई भाषाओं को शामिल करने से पहले से ही भारी पाठ्यक्रम पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, स्कूलों में भाषा शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया जा सकता है, ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार भाषा चुन सकें। उदाहरण के लिए, एक बांग्ला भाषी बच्चा पंजाबी, तमिल, या मराठी में से किसी एक को चुन सकता है। दूसरा, डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन भाषा पाठ्यक्रम और ऐप्स विकसित किए जा सकते हैं, जो बच्चों को अपनी गति से सीखने में मदद करेंगे। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, विभिन्न प्रांतों के शिक्षकों का आदान-प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पंजाब से शिक्षक पश्चिम बंगाल के स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने के लिए जा सकते हैं, और बंगाल से शिक्षक पंजाब में बांग्ला पढ़ा सकते हैं। इससे न केवल भाषा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शिक्षकों को भी एक-दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर मिलेगा।

> **विभिन्न भाषाओं को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जो एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में नई भाषाओं को शामिल करने से पहले से ही भारी पाठ्यक्रम पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, स्कूलों में भाषा शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया जा सकता है, ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार भाषा चुन सकें। उदाहरण के लिए, एक बांग्ला भाषी बच्चा पंजाबी, तमिल, या मराठी में से किसी एक को चुन सकता है।**

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कमल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीपलसाइड एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/36862)

हरियाणा का क्लाइमेट एक्शन प्लान

गांव बनेंगे जलवायु लचीलेपन के केंद्र

चंडीगढ़ ।

हरियाणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के मकसद से, राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएसपीसीसी) को संशोधित करते हुए गांवों को इस योजना के केन्द्र में रखा है। यह नई रणनीति ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, जमीनी स्तर पर लचीलापन बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास एजेंडे से जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने पर आधारित है। 'एग्री-जल संवाद' पर आयोजित सेमिनार में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल वैश्विक चुनौती नहीं, यह हमारे किसानों, परिवारों और खेतों को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि असामान्य बारिश, बढ़ती गर्मी और गिरता भूजल स्तर हरियाणा की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लचीलापन अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। संशोधित राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जलवायु परिवर्तन से निपटने की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना है। यह कृषि, जल, जैव विविधता, वन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग करना शामिल है। यह योजना मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी मौजूदा योजनाओं में जलवायु प्राथमिकताओं का एकीकरण सुनिश्चित करती है। श्री आनंद मोहन शरण ने कहा, जलवायु परिवर्तन का असर पहले गांवों में दिखता है, इसलिए समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए।÷ योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जलवायु कार्यों को अपनी विकास योजनाओं में शामिल करने, विशेष फंडिंग प्राप्त करने और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला और खंड स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि सिंचाई प्रबंधन से लेकर आजीविका सहायता तक हर निर्णय में जलवायु लचीलापन को प्राथमिकता मिल सके। हरियाणा सरकार जर्मन एजेंसी जीआईजैड और नाबार्ड जैसे संगठनों के साथ तकनीकी सहयोग, नवाचार और वित्तीय सहायता के लिए साझेदारी कर रही है। इसके साथ ही ग्लोबल क्लाइमेट फंड तथा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत संसाधनों को जोड़ने के प्रयास जारी हैं।

हरियाणा सरकार ने अवैध हथियार निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए एसओपी जारी की - डॉ. सुमिता मिश्रा

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हथियार और गोला-बारूद के निर्माण में लगे सभी लाइसेंस प्राप्त और गैर-लाइसेंस प्राप्त कारखानों/इकाइयों के निरीक्षण और नियमितीकरण के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। यह एसओपी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि एसओपी का प्राथमिक उद्देश्य, शस्त्र अधिनियम, 1959 (शस्त्र संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित) और शस्त्र नियम, 2016 (2022 में संशोधित) के प्रवर्तन को उसकी वास्तविक भावना में और जमीनी स्तर लागू करना है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिना लाइसेंस वाली बन्दूकों का अनियंत्रित प्रसार जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके लिए सख्त नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है। इस एसओपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हथियारों का निर्माण केवल अधिकृत संस्थाओं द्वारा तथा कानून के दायरे में ही किया जाए। इस पहल को क्रियान्वित करने के लिए, एसओपी में प्रत्येक जिले में एक जिला-स्तरीय शस्त्र नियंत्रण समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और इसमें पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जिला अटॉर्नी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित बैलिस्टिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये समितियाँ अगले दो महीनों के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी मौजूदा हथियार और गोला-बारूद निर्माण कारखानों/इकाइयों, चाहे वे लाइसेंस प्राप्त हों या गैर-लाइसेंस प्राप्त, का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद, निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित मासिक निरीक्षण किए जाएँगे। एसओपी के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण में लाइसेंस का सत्यापन, परिसर, मशीनरी, कच्चे माल, उत्पादन रिकॉर्ड और तैयार माल की गहन जाँच करना शामिल है।

लाइसेंस की शर्तों का कोई भी उल्लंघन होने पर , जिसमें बन्दूकों या उनके पुर्जों का अनधिकृत निर्माण शामिल है, को तत्काल ज़ब्त किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समितियों से इन कारखानों/इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने की भी अपेक्षा की जाती है। बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियों या इकाइयों के लिए, एसओपी में तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की स्थापना या संचालन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समितियों को इन मामलों को ''चिन्हित अपराध'' के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुशंसा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, बिना लाइसेंस वाले विनिर्माण केंद्रों की पहचान करके उन्हें नष्ट किया जाएगा और अवैध बन्दूकों के अनधिकृत निर्माण को रोकने के सरकारी प्रयासों में नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। डॉ मिश्रा ने बताया कि एसओपी के कार्यान्वयन में पुलिस प्राधिकारी केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक या डीसीपी शस्त्र अधिनियम के मामलों को संभालने के लिए विशेषज्ञ जांचकर्ताओं का एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। तस्करी के नेटवर्क और मार्गों पर नज़र रखने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और राजमार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। जांच अधिकारियों को पूरी तरह से दस्तावेजीकरण समय पर एफआईआर दर्ज करना और जब्त हथियारों को निचली अदालतों में उचित तरीके से पेश करना सुनिश्चित करना होगा। डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए जिला अटॉर्नी को शस्त्र अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और दोषसिद्धि व बरी होने पर मासिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में वरिष्ठतम उप-जिला अटॉर्नी, शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दर्ज मामलों में दायर आरोप-पत्रों की उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिला-स्तरीय शस्त्र नियंत्रण समितियों को अपने निरीक्षणों की विस्तृत रिपोर्ट राज्य-स्तरीय समिति को प्रस्तुत करनी होगी। पहली व्यापक निरीक्षण रिपोर्ट तीन महीने के भीतर और उसके बाद मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा करनी होगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट शस्त्र अधिनियम, 1959 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अवैध हथियारों के निर्माण को जड़ से उखाड़ फेंकने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव 2025 पर जारी की जानकारीवर्धक पुस्तिका

1952 से 2022 तक के सभी 16 चुनावों की संक्षिप्त जानकारी भी सम्मिलित, आयोग की जागरूकता पहल— ए. श्रीनिवास

चंडीगढ़ ।

भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति पद के आगामी चुनाव-2025 को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक नई पुस्तिका ÷भारत के उप-राष्ट्रपति पद का चुनाव, 2025÷ जारी की है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पुस्तिका निर्वाचन प्रक्रिया को आम भाषा में सरलता से समझाने की दिशा में आयोग का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग राज्यों की विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया को पारदर्शी व सुलभ बनाने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में आयोग ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें वर्ष 1952 से 2022 तक संपन्न हुए सभी 16 उप-राष्ट्रपति चुनावों पर संक्षिप्त ऐतिहासिक नोट्स शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग पर है।

साथ ही, अनुच्छेद 68(2) के तहत उपराष्ट्रपति के पद पर मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराना आवश्यक है। निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के तहत, पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल पूर्ण करता है। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 एवं राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के तहत आयोजित किया जाता है। यह चुनाव आमतौर पर लोकसभा या राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें मतदाताओं की प्रकृति, उम्मीदवारों की पात्रता, मतदान प्रणाली, मतगणना की तरीके और विधिक प्रावधान विशिष्ट होते हैं। श्री श्रीनिवास ने बताया कि इस पुस्तिका में उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचक मंडल की संरचना, उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन प्रक्रिया, चुनाव कार्यक्रम निर्धारण, रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान स्थल निर्धारण, मतदान प्रणाली, मतगणना की विधि और चुनाव से संबंधित विवादों के समाधान जैसी सभी प्रमुख जानकारी को सरल भाषा में समझाया गया है।

पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2025 तक बढ़ाई

चंडीगढ़ ।

भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2025 कर दी गई है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएँगी। गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च, 2025 से शुरू हुई थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 'उत्कृष्ट कार्य' के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरीग , लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अत सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं। प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर 'पुरस्कार और पदक' शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.asp& लिंक पर उपलब्ध हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

हरियाणा सरकार 1 अगस्त से राज्यव्यापी बेसहारा पशु-मुक्त अभियान करेगी प्रारंभ

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने प्रदेश को बेसहारा पशुओं से मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दृढ़ संकल्पित कदम उठाते हुए समस्त राज्य में मिशन मोड में आवारा पशु-मुक्त अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का पहला चरण 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक चलेगा। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार के साथ गौ सेवा आयोग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया । यह अभियान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के अनुरूप संचालित किया जाएगा, जिन्होंने प्रदेशभर में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु त्वरित व समन्वित प्रयासों के लिए दिशानिर्देश दिए हैं। अभियान के तहत, प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे सभी बेसहारा पशुओं की पहचान की जाएगी, उन्हें टैग किया जाएगा, उनका विधिवत दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा तथा पंजीकृत गौशालाओं में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां उन्हें समुचित देखभाल व आश्रय प्रदान किया जाएगा। यह पहल पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार के साथ-साथ उनकी प्रभावी निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि पशुपालन विभाग शीघ्र ही राज्य के चार जिलों में गौ अभयारण्यों की स्थापना करेगा, जो दीर्घकालिक आश्रय केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। इन अभयारण्यों का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, राज्य सरकार ने बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत, गौशालाओं के कर्मचारी बेसहारा पशुओं को आश्रय स्थलों तक पहुंचाएंगे और विभागीय सत्यापन के पश्चात, उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

नेहरू की गलतियों को मोदी सरकार ने सुधारा, राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते

नई दिल्ली । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि पहलगाम हमला पूरी तरह अस्वीकार्य, लक्ष्मण रेखा लांघी गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोषियों को जवाबदेह ठहराना और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक था। सदन में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए जयशंकर ने कहा कि मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोलके सुन लें। 22 अप्रैल से 16 जून तक, एक भी फोन कॉल राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में नहीं हुआ। सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने पर जयशंकर ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि कई मायनों में एक अनोखा समझौता है। मैं दुनिया में किसी भी ऐसे समझौते के बारे में नहीं सोच सकता जहाँ किसी देश ने अपनी प्रमुख नदियों को उस नदी पर अधिकार के बिना दूसरे देश में प्रवाहित करने की अनुमति दी हो। इसलिए यह एक असाधारण समझौता था और, जब हमने इसे स्थगित कर दिया है, तो इस घटना के इतिहास को याद करना जरूरी है। कल मैंने लोगों को सुना, कुछ लोग इतिहास से असहज हैं। वे ऐतिहासिक बातों को भुला देना पसंद करते हैं। शायद यह उन्हें शोभा नहीं देता, वे केवल कुछ बातों को याद रखना पसंद करते हैं। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं कर देता... खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि निलंबित कर नेहरू की नीतियों की गलतियों को सुधारा। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में हम आतंकवाद को वैश्विक एजेंडे पर रखने में सफल रहे हैं... चाहे वह ब्रिक्स हो, एससीओ हो, क्वाड हो या द्विपक्षीय स्तर पर हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा, जो 26 साल से वांछित था, आखिरकार मोदी सरकार द्वारा वापस लाया गया और आज इस देश में मुकदमों का सामना कर रहा है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मैं आपको बताता हूं कि पिछले एक दशक में क्या बदलाव आया है। हम आतंकवाद को हर वैश्विक एजेंडे में शामिल करने में कामयाब रहे हैं। आज अगर आतंकवाद वैश्विक एजेंडे में है, तो यह मोदी सरकार के प्रयासों की ही बदौलत है। हम मसूद अजहर और अब्दुल रहमान मक्की जैसे दो कुख्यात आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी में शामिल करवाने में कामयाब रहे। कुछ साल पहले, जब हम सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, तब हम मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकवादी हमले के स्थल पर सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका भी बहुत बड़ा असर हुआ था... हम द्विपक्षीय समझौतों और आपसी समझ के जरिए, प्रमुख देशों से आतंकवादियों को वापस लाने में कामयाब रहे, जिन्हें भारत वापस भेज दिया गया है। मैं आपको याद दिला दूं कि 26/11 के मुंबई हमले में वांछित तहव्वुर हुसैन राणा को मोदी सरकार आखिरकार भारत वापस ला पाई है। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र से यह मान्यता प्राप्त करने में सफल रहे कि द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का प्रतिनिधि है। भारतीय कूटनीति ने सफलतापूर्वक TRF को अमेरिका से आतंकवादी संगठन घोषित करवाया। हमने संदेश दिया कि भारत मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है, हम परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं करेंगे।

ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों पर नड्डा का करारा जवाब

पहलगाम हमले के आतंकियों को हमने जमींदोज कर दिया

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे जेपी नड्डा ने सरकार का पक्ष रखा।

हमले होते रहे और यूपीए सरकार बिरयानी खिलाती रही, राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, हमने कार्रवाई करके दिखाया

संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बहस चल रही है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमने सैन्य शक्ति का सदुपयोग किया। देश में आतंकी हमले बंद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 13 दिन के भीतर ही पहलगाम हमले का जवाब दिया। हमारी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि टीम इंडिया ने दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बताई। फर्क राजनीतिक नेतृत्व का है। भाजपा अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने 2005 के दिल्ली सीरियल बम विस्फोटों, 2006 के वाराणसी आतंकी हमले, 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोटों में कोई कार्रवाई नहीं की। मुद्दा यह है कि तब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और व्यापार और पर्यटन जारी रहा। 61 देशों ने पहलगाम हमले की

निंदा की

जेपी नड्डा ने कहा एक झूठ फैलाया जा रहा है कि कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया भर के 61 राष्ट्राध्यक्षों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। 35 विदेश मंत्रियों ने एकजुटता का कड़ा संदेश दिया। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो, क्वाड हो या ब्रिक्स - हर बड़ा वैश्विक मंच भारत के साथ खड़ा रहा और हमले की निंदा की।

ऑपरेशन महादेव के जरिए आतंकियों को जमीन में गाड़ दिया गया

जेपी नड्डा ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। एक आतंकवादी की जिंदगी अब औसतन सिर्फ 7 दिन की रह गई है। यह मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। मल्लिकार्जुन खरगे पूछ रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों का क्या हुआ? मैं उन्हें बता दूं कि ऑपरेशन महादेव के जरिए उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया है।

देश जानता है कि हाफिज सईद को जी कौन कहता था- नड्डा

जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, कांग्रेस ने मुंबई हमलों को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की। इसे भगवा आतंकवाद बताने की कोशिश की। पूरा देश जानता है कि हाफिज सईद को कौन जी कहता था।

और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यूपीए के एक रक्षा मंत्री ने क्या कहा था स्वतंत्र भारत की कई वर्षों से यह नीति रही है कि सबसे अच्छा बचाव सीमा का विकास न करना है। एक अविकसित सीमा एक विकसित सीमा से ज्यादा सुरक्षित होती है। इसीलिए, वर्षों तक, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, हवाई अड्डों या बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हुआ।

अगर पीएम मोदी ट्रंप को झूठा कहें तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी

नई दिल्ली । भारत और पाकिस्तान के हालिया तनाव को खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार किए गए दावों से भारत में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक बार फिर इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वे खुद बोल नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी बोलेंगे तो ट्रंप सब सामने ला देंगे, इसलिए मोदी चुप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी व्यापार डील के लिए पीएम मोदी पर दबाव बना रहे हैं और देखना होगा यह डील कैसी बनती है।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

राहुल का आरोप; प्रियंका ने भी घेरा

राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर ट्रंप के दावों को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान गोलमोल हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुझाव दिया कि उन्हें साफ-साफ कहना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। देखा जाए तो संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस नेताओं की यह आलोचना मोदी सरकार की अमेरिका के प्रति नरम रुख पर सवाल उठाती है।

ननों की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का विरोध

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया। साथ ही संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। केरल से कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर प्रियंका गांधी ने संसद भवन के मकर द्वार के पास प्रदर्शन किया और गिरफ्तार ननों की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन भी शामिल रहे।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

इस दौरान प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केरल की कुछ ननों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया, उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और फिर पुलिस उन्हें जबरन ले गई। हम अल्पसंख्यकों पर हो रहे इस तरह के अत्याचारों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये महिलाएं हैं, इनके साथ ऐसे व्यवहार की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप किसी को बिना सबूत ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार और चुनाव के समय की छवि पर काम करती है। असली मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें उम्मीद नहीं है कि वे कुछ करेंगे, लेकिन हमारा काम है उन पर दबाव बनाना।

पुंछ में सुरक्षाबलों ने ढेर किए दो आतंकी, ऑपरेशन शिवशक्ति के तहत घुसपैठ की कोशिश नाकाम

जम्मू ।

दो आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में पुंछ जिले में बॉर्डर पर सीमापार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। अभी सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है। जम्मू-कश्मीर में बॉर्डर पर पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित दिगवार सैक्टर में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश की। अलर्ट सुरक्षाबलों ने संदिग्ध गतिविधियां देख गोलीबारी की। आतंकियों ने भी फायरिंग की। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। व्हाइटनाइट कॉर्प्स के अनुसार, ऑपरेशन शिवशक्ति के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो

लद्दाख में सैन्य काफिले पर गिरा विशाल पत्थर, एक अधिकारी समेत 3 जवानों की मौत

नई दिल्ली ।लद्दाख के दुरबुक में एक कार के एक चट्टान से टकराने के कारण इस हादसे में एक अधिकारी और 2 जवानों की मौत हुई है और एक अधिकारी और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि यह घटना सुबह लगभग 11:30 बजे हुई और बचाव अभियान जारी है। लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जिसमें दो लोग उस वाहन से घायल हो गए थे जिसमें वे यात्रा कर रहे थे।

राहुल गांधी "वोट चोरी" को लेकर चार अगस्त को बेंगलुरु में विरोध-प्रदर्शन में भाग लेंगे

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ''वोट चोरी'' के विरोध में चार अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और वहां निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपेंगे। राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र का अध्ययन करके यह पता लगाया है कि किस प्रकार ''वोट चोरी''की जाती है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने 23 जुलाई को आरोप लगाया था कि भारत में वोटों की ''चोरी'' हो रही है और दावा किया था कि उनकी पार्टी ने पता लगा लिया है है कि ये कैसे किया जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, ''राहुल गांधी ने चुनावों में धांधली के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाएं कर्नाटक में भी हुई हैं, इसलिए वह यहां निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन देने आ रहे हैं। वह चार अगस्त को आएंगे।'' उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसको लेकर एक कार्यक्रम (विरोध प्रदर्शन) आयोजित करेगी, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा।उन्होंने कहा, ''पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष (डी.के. शिवकुमार) और मुख्यमंत्री (सिद्धरमैया) कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं। अभी तक की संभावित योजना के अनुसार, राहुल गांधी 'फ्रीडम पार्क' में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, इसके बाद वह निर्वाचन अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंप सकते हैं।''

इंडिया ब्लॉक ने बिहार एसआईआर के खिलाफ जारी रखा प्रदर्शन, सोनिया गांधी भी हुईं शामिल

नई दिल्ली । कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) ब्लॉक के सांसदों के साथ चुनावी राज्य बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और भाजपा शासित राज्यों में मजदूरों की गिरफ्तारी के विरोध में संसद भवन के बाहर मकर द्वार पर मौजूद रहीं। सोनिया गांधी "एसआईआर-लोकतंत्र पर हमला का बड़ा बैनर लिए हुए इस विशेष प्रदर्शन में शामिल हुईं और अपनी बेटी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के साथ खड़ी रहीं। प्रमोद तिवारी और मणिकम टैगोर जैसे अन्य नेता भी मौजूद थे। इंडिया ब्लॉक के विशेष प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद भी शामिल हुए, जिन्होंने भाजपा शासित राज्यों में मजदूरों की गिरफ्तारी का विरोध किया। पार्टी पिछले कुछ दिनों से अन्य राज्यों में बंगालियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ अलग से विशेष प्रदर्शन कर रही है, हालांकि आज वे बड़े विशेष प्रदर्शन में शामिल हुईं, जबकि अन्य सांसदों ने चुनाव आयोग (ईसी) की आलोचना करते हुए कार्टून पोस्टर पकड़े हुए थे। एसआईआर कार्टून में ईसी नाम का एक व्यक्ति वर्दी पहने और बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) जैसी चीज है, और उसके मुंह से एक स्पीच बबल निकल रहा है जिसमें लिखा है "YES SIR"। ट्वीट के साथ एक ही तीखा हैशटैग लगाया गया हैएसआईआर, जो विपक्षी दलों द्वारा हाल ही में लगाए गए उन आरोपों का स्पष्ट संदर्भ है कि ईसीआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है, खासकर बिहार के घटनाक्रम को देखते हुए। 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संसद के अंदर और बाहर मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

नेहरू का नाम लेने पर पीएम मोदी और अमित शाह पर भड़के जयराम रमेश, बताया ओसीडी से पीड़ित

नई दिल्ली । ग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू का बार-बार ज़िक्र करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि जब भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात आती है तो वे ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर (ओसीडी) से ग्रस्त हो जाते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, जयराम रमेश ने कहा कि कल लोकसभा में, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, दोनों ने एक बार फिर दिखाया कि जवाहरलाल नेहरू के मामले में वे उस बीमारी से पीड़ित हैं जिसे चिकित्सकीय भाषा में ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। संभव है कि आज राज्यसभा में भी यही बात दिखाई दे। रमेश ने दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अपनी वर्तमान विफलताओं का कोई जवाब नहीं है और सार्थक बहस में शामिल होने के बजाय विषय को भटकाते हैं, तोड़-मरोड़ते हैं और बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी वर्तमान विफलताओं का कोई जवाब नहीं है। उनकी नीतियों और कार्यों पर उठ रहे वाजिब सवालों का कोई जवाब नहीं है। सार्थक बहस में शामिल होने के बजाय, वे भटकाव, ध्यान भटकाना, विकृत करना और बदनाम करना चाहते हैं। गृह मंत्री ने एक तरह के इतिहासकार होने का दावा किया था। वे भारत के दूसरे सबसे महान इतिहासकार हैं। इस संबंध में सर्वोच्च सम्मान संपूर्ण राजनीति विज्ञान में योग्यता प्राप्त व्यक्ति के लिए आरक्षित है।

हंदवाड़ा में बड़ा हादसा, सरकारी शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत, 49 अन्य घायल

श्रीनगर । हंदवाड़ा के बहलोपोरा इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक सरकारी शिक्षक इरशाद अहमद लोन की मौत हो गई, जबकि 49 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दुर्घटना ने पूरे इलाके को शोक में डूबा दिया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दुखद घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, हंदवाड़ा में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे से मैं अत्यंत व्यथित हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं इरशाद अहमद लोन के परिवार के साथ हैं। मैं घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उपराज्यपाल ने प्रशासन से कहा है कि वे घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कोई कसर न छोड़ें और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए। पुलिस और प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।

पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती, मौलाना साजिद रशीदी से मारपीट पर बोली सपा

लखनऊ। सांसद डिंपल यादव के खिलाफ "अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी से नोएडा में समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने के एक दिन बाद सपा ने कहा कि वह किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती। रशीदी ने मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के हाल में एक मस्जिद में जाने को लेकर कथित तौर पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर उठे विवाद के बीच रशीदी मंगलवार को नोएडा में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां सपा के दो कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट की और खुद उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। घटना के बारे में पूछे जाने पर सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने स्वीकार किया कि मौलाना रशीदी से मारपीट करने वाले आरोपी सपा के ही कार्यकर्ता हैं।

उन्होंने कहा, "हां...वे पार्टी कार्यकर्ता हैं...लेकिन हमारी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो उन्होंने कहा, "अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो कानून अपना काम करेगा।

सीएम बोले- 2017 के पहले चीन के माल से पटा पड़ा था यूपी का बाजार, अब ओडीओपी के उत्पाद ज्यादा

लखनऊ ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले यूपी का बाजार त्योहारों पर चीन के सामान से पटा हुआ था। आज चीन के उत्पाद से ज्यादा ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) का उत्पाद बिक रहा है। 2017 के पहले भी प्रदेश में ओडीओपी बड़े पैमाने पर थे लेकिन तब उस समय की सरकारें नहीं समझ पाईं क्योंकि उनके लिए परिवारवाद ही सर्वोपरि था। वो लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्योगों को बंद करने की साजिश का हिस्सा बन गए थे पर अब सरकार युवाओं को उद्यमी बनने के लिए मदद कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित युवा कॉन्क्लेव में कहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अब युवाओं के लिए जॉब लेने नहीं बल्कि देने का माध्यम बन गई है। सक्सेस स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक ऐसी स्कीम जिसका ब्याज और गारंटी सरकार दे रही है। दस फीसदी मार्जिन मनी का लाभ भी सरकार दे रही है। इसी का परिणाम है कि 2751 करोड़ रुपए 68000 युवाओं को दिए गए। ये यूपी का पोटेंशियल है। ऐसे लाखों युवा यूपी में हैं, जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय टापू जैसा बन गए। उन्हें स्टेट और सेंट्रल की योजनाओं की जानकारी नहीं होती। वहां से निकला युवा चौराहे पर खड़ा होकर असमंजस में होता है फिर बिना जानकारी के लोन लेता है लेकिन ज्ञान न होने के कारण कर्ज के बोझ तले दब जाता है जिनके पास ज्ञान होता है, उनके पास पैसा नहीं होता। ऐसी सभी समस्याओं का समाधान सीएम युवा योजना है। विश्वविद्यालय के साथ एमओयू इसीलिए किए गए हैं कि वहां पढ़ रहे बच्चों को राज्य और केंद्र योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके पहले सीएम योगी ने युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है। यह दो दिवसीय युवा कॉन्क्लेव प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए उद्यमिता के द्वार खोलेगा।

आशा-ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर सियासत, तेजस्वी बोले- सरकार का डर देख अच्छा लगता है

पटना ।

बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर भी अपना क्रेडिट ले लिया और कहा कि मैंने 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री रहते आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी जो अंतिम स्टेज में थी लेकिन तब तक सरकार और मुख्यमंत्री आदतन पलटी मार गए। ये निकम्मी एनडीए सरकार उस पर भी दो साल से कुंडली मार कर बैठी रही। अब आखिरकार इन्हें आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की हमारी इस मांग के सामने भी झुकना ही पड़ा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार ने चालाकी करते हुए हमारी इस मांग को पूर्णरूपेण लागू नहीं किया। इनको प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि मानदेय मिलना चाहिए। हम इन्हें मानदेय देंगे। अब इस सरकार को आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका और रसोइया के

मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की हमारी मांग को भी मजबूरन मानना ही पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में ही हमने विकास मित्र, शिक्षा मित्र/टोला सेवक, तालीमी मरकज और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया था।

सब कुछ तेजस्वी का ही नकल करोगे?

तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी मांगों, घोषणाओं, वादों, इरादों और दावों को देखकर इस नकलची, थकी-हारी, दृष्टिहीन और विजन रहित सरकार का डर देखकर अच्छा लगता है। ये डर अच्छा है लेकिन 20 साल तक क्या यह मूंगफली छील रहे थे? यही सरकार, इनके नेता-मंत्री और अधिकारी जो हमारी घोषणा का मखौल उड़ाते थे वो अब सत्ता जाते देख दौड़ रहे है। सब कुछ तेजस्वी का ही नकल करोगे या अपनी भी अक्ल लगाओगे?

सीएम नीतीश कुमार ने किया यह एलान

बता दें कि बुधवार सुबह ही सीएम नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का एलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को अब एक हजार रुपये की जगह तीन हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।